कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर–प्रथम,जयपुर

कमांकः– कमांक / जिशिअ / मा / प्रथम / जयपुर / लेखा–5 / फा–फीस निर्धारण / 1607 दिनांकः– 28.11.13

नॉडल / सह नॉडल प्रभारी
प्रधानाचार्य,रा.उ.मा.विद्यालय,
आदर्श नगर, जयपुर

विषयः– निजी विद्यसलयों की फीस निर्धारण करने के सम्बन्ध में सूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– शासन सचिव राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग के पत्र कमांक प.8 (17) शिक्षा–5 / 2004 पार्ट दिनांक 14.11.2013

उपरोक्त विषयानतर्गत एवं के प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण कार्यो को गति प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि आप अपने परिक्षैत्र के संचालित

(1) ऐसे निजी विद्यालय जिनकी सत्र 2013–14 में कक्षा 1 से 8 तक की फीस 2000/–रूपये मासिक या 24000/– रूपये वार्षिक या इससे अधिक है तथा कक्षा 9 से 12 तक 2500/– रूपये मासिक या 30000/– रूपये वार्षिक या इससे अधिक है (अधिसूचना के बिन्दु सं. 2 (ड़) के अनुसार फीस से तात्पर्य किसी भी कक्षा या पाठ्यकम में किसी छात्र प्रवेश के लिए किसी विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संग्रहित कोई भी रकम चाहे वह किसी भी नाम से हो, से है) उन विद्यालयों की कक्षानुसार सूचना नियम 6 की उपधारा (1)के निर्धारित संलग्न प्रपत्र में भिजवायें।

(2) ऐसे निजी विद्यालय जिन्होने सत्र 2012–13 में अपने स्कूल की फीस में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है, की सूची संलग्न है, इन विद्यालयों की सूचना भी संलग्न प्रपत्र में ही भिजवायें।

ज्ञात रहे उपरोक्त सूचनाए निदेशालय के माध्यम् से राज्य सरकार को 10–12–13 तक भिजवनी है ,अतः आप सूचनाएस उक्त दिनांक से 2 दिन पूर्व इस कार्यालय को व्यक्तिश उपस्थित होकर प्रस्तुत करें ताकि राज्य सरकार को चाही गई वांछित सूचनाएं समय पर भिजवाई जा सके।

संलग्न : (1) निर्धारित प्रपत्र

(2) ऐसे निजी विद्यालयों के नाम जिन्होने 12–13 में अपने स्कूल की फीस में 100 प्रतिशत वृद्धि की है।

नोट – CBSE एवं मा.शि.बो. के सभी स्कूल।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जयपुर प्रथम,जयपुर